दिल्ली उच्च न्यायालयः नई दिल्ली

आप.अ. 480/2003

निर्णय सुरक्षित : 27 मार्च, 2014
निर्णय उद्घोषितः 01 अप्रैल, 2014

संतोष कुमार ..... अपीलार्थी

द्वाराः श्री संदीप गुप्ता, अधिवक्ता और व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

बनाम

दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वाराः श्री ओ.पी. सक्सेना, राज्य के अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

निर्णयः

1. वर्तमान अपील सत्र वाद सं. 68/2002 में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1ख) के तहत दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो प्राथमिकी सं. 369/2001, पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी में दर्ज हुई है।
2. उपरोक्त प्राथमिकी में अपीलार्थी अभियुक्त के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 307/452 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत अपराध के लिए चालान दायर किया गया था। दिनांक 27.05.2003 के आदेश के अनुसार, जबकि अपीलार्थी-अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा

307/452 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था, आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। दिनांक 28.05.2003 के आदेश के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त को एक वर्ष के कठिन कारावास तथा 1000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस न्यायालय के दिनांक 23.07.2003 के आदेश के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया। अभिलेख के अनुसार, उसने पहले ही जुर्माना जमा कर दिया था।

3. यद्यपि अपीलार्थी द्वारा धारा 25 (1ख) के तहत दोषसिद्धि के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है, लेकिन बहस के दौरान उसने स्वेच्छा से अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि वह धारा 25 (1ख) आयुध अधिनियम के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहता है, बल्कि अपनी दलीलें सजा के बिंदु तक ही सीमित रखना चाहता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वह पहले से दोषी नहीं है और वर्तमान मामले को छोड़कर किसी भी समय वह किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं रहा है और वर्ष 2003 में अपनी सजा के समय वह एक युवा लड़का था और इन 11 वर्षों के दौरान वह किसी भी तरह से अपराध की दुनिया में शामिल नहीं रहा है और इसलिए, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए।

4. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है और यह एकमात्र मामला था जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि दी गई सजा उचित और न्यायोचित थी।

5. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर उचित विचार किया है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को 4.4.2001 को दोपहर लगभग 2.30 बजे श्रीमती सुनीता के पेट में चाकू घोंपने के लिए जनता द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो अपीलार्थी-अभियुक्त जनता की हिरासत में था। उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली और उसके कब्जे से एक बटन संचालित चाकू बरामद किया। श्रीमती सुनीता ने अदालत के समक्ष अपने बयान में अपीलार्थी-अभियुक्त को अपने हमलावर के रूप में पहचानने में विफल रहीं और अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 307/452 के तहत अपराध के लिए उसे जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं पाया, इसलिए उन्हें आरोपों से विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन चूंकि जांच अधिकारी सहित पुलिस अधिकारियों ने अपीलार्थी-अभियुक्त के कब्जे से चाकू की बरामदगी के बारे में एक-दूसरे की पुष्टि की थी, इसलिए उन्हें बटन संचालित चाकू रखने के लिए

दोषी ठहराया गया था, लेकिन चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि चाकू का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया गया था, इसलिए उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 25 (1ख) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

7. इस मामले की पृष्ठभूमि में, जहां परिवादी अपीलार्थी-अभियुक्त को अपने हमलावर के रूप में पहचानने में विफल रही है और जहां अपीलार्थी-अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 307/452 और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के तहत अपराध के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन अपने कब्जे में बटन संचालित चाकू रखने के कम गंभीर आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है और क्योंकि वह वर्ष 2003 में उस समय और इस प्राथमिकी सं. 369/2001 में पहली बार गिरफ्तार होने के बाद से बीत चुके 11 वर्षों की अवधि के दौरान भी किसी अन्य मामले में शामिल नहीं पाया गया था, मैं एक उदार दृष्टिकोण अपनाता हूं और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को उसके द्वारा पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए सजा सुनाता हूं।

8. सजा के आदेश में संशोधन सहित अपील का निपटान किया जाता है।

9. रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल, तिहाड़ को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

न्या. दीपा शर्मा

01 अप्रैल, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*